गई है। इन सड़कों में वैसी ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं जिनका निर्माण केन्द्र सरकार के द्वारा कराया गया है।

- **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2013 एवं बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018** के तहत राज्य सरकार द्वारा अबतक 22,522.17 करोड़ रुपये लागत से 19955 पथों, जिनकी लंबाई 53196 कि0मी0 है, के अनुरक्षण की स्वीकृति दी गई है। इसके विरुद्ध अबतक 16,916.12 करोड़ रुपये की लागत से 44,990 कि.मी. लंबाई के 15,341 पथों का अनुरक्षण कार्य कराया गया है एवं शेष पथों में कार्य कराया जा रहा है।
- वर्ष 2014 में राज्य योजनाओं के ऑनलाईन अनुश्रवण के लिए सभी कनीय अभियंता एवं उनके ऊपर के पदाधिकारियों को पी0सी0 टैबलेट का वितरण किया गया। पी0सी0 टैबलेट के माध्यम से डाटा एवं स्टाम्प्ड एंड जीओ टैग्ड फोटोग्राफ सिंक्रोनाइज्ड विद डिपार्टमेंटल एम.आई.एस. (Data & stamped and Geo tagged photographs synchronized with depart-mental MIS) प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड करने की कार्रवाई की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 से विभाग द्वारा ऑनलाईन संवेदक पंजीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2015 में विभाग का वेबसाईट तैयार किया गया, जिसके माध्यम से विभाग में चल रही सभी योजनाओं के अनुश्रवण, पत्राचार, डाटाबेस एवं अन्य गतिविधियों को ऑनलाईन संसूचित करने की सुविधा प्रदान की गयी।
- वर्ष 2015 में आमजनों के लिए सुझाव/शिकायत के लिए टॉल फ्री नं0 18003456179 चालू किया गया। बेहतर संवाद स्थापित करने एवं सतत् अनुश्रवण हेतु विभाग के सभी प्रक्षेत्र अभियंताओं एवं मुख्यालय स्तर के सभी पदाधिकारियों को क्लोज्ड यूज़र ग्रुरप (CUG) सीम मुहैया कराया गया। सभी कार्य प्रमंडलों, कार्य अंचलों एवं मुख्यालय कार्यालयों में कम्प्यूटर, जेनरेटर, इन्टरनेट, फैक्स, टेलिफोन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिनांक 01.04.2015 से फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन किया गया। इसके बाद कुल व्यय का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकारों के द्वारा वहन किया जाता है जबकि प्रारंभ में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा ही शत-प्रतिशत राशि आवंटित की जाती थी।

वर्ष 2016 से 2020

- माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जमीनी हकीकत जानने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान समाज में शोषित, वंचित एवं पिछड़े गाँवों एवं बसावटों में आवासित ग्रामीणों से प्राप्त फीडबैक के आलोक में ऐसी असम्पर्कित बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु **7 निश्चय से संबंधित 'घर तक पक्की गली-नालियां' निश्चय के तहत** 100 से 249 तक की आबादी वाले टोलों को बारहमासी सड़कों के निर्माण द्वारा संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से **"ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना' 28 अक्टूबर, 2016 को प्रारंभ की गयी।** ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले 13,786 बसावटों को अगले पांच वर्षों में संपर्कता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

  ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजनान्तर्गत राज्य के कुल 4,643 संपर्क विहीन बसावटों/टोलों को संपर्कता प्रदान करने हेत कुल 3,977.30 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य है, जिसे लगभग प्राप्त कर लिया गया है।
- वर्ष 2016-17 में विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे भारत में सर्वाधिक 6,601 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने एवं 4,173 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने पर भारत सरकार द्वारा विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को वर्ष 2017-18 में 3,418 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए प्रथम तथा 5,227 किलोमीटर लंबाई के पथों का निर्माण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2018 में **'बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018'** लागू की गई।
- राज्य में वर्ष 2019-20 से **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2** के तहत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2020 से अबतक

- राज्य में वर्ष 2020-21 से **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3** के तहत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- **7 निश्चय-2 के अंतर्गत** आस-पास के गाँवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों (प्रखंड/थाना/अनुमंडल) अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा-बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से 'सुलभ संपर्कता निश्चय योजना' का क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु विभाग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान पता चला कि अभी भी कुछ टोले/बसावट पक्की सड़क सम्पर्क से वंचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निदेश है कि राज्य में 100 या इससे अधिक आबादी वाले सभी टोलों को भी सम्पर्कता प्रदान की जाए। इस हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षित 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान किये जाने हेतु **'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)'** की शुरुआत **जुलाई 2023** में की गई है।

  इसके तहत 9,025.70 करोड़ रुपये की लागत से 8,283 कि.मी. ग्रामीण पथों (पुल-पुलिया सहित) के निर्माण से 7,209 असम्पर्कित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जानी है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) संपोषित योजना है।

  इस योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में 3014 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाना है, जिसकी योजना लागत 3284.24 करोड़ रुपये है। जिसमें से 1870.47 करोड़ रुपये की लागत से 2750 ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) (लम्बाई 2620.20 किलोमीटर) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अबतक 58 पथों (लंबाई 163.68 किलोमीटर) का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
- वैसे पथ जिनकी निरुपण अवधि (डिजाईन अवधि) पूर्ण हो चुकी है अथवा उस अवधि के पूर्व ही निरुपित यातायात घनत्व (डिजाईन्ड यातायात डेन्सिटी) को प्राप्त कर लिया गया है, के उन्नयन हेतु पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से एक योजना की आवश्यकता महसूस की गई। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में चिह्नित ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा **सितंबर, 2023 में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना'** की स्वीकृति दी गई।
- इस योजना के तहत 10 हजार किलोमीटर सड़क उन्नयन का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अबतक 2842 किलोमीटर सड़क के उन्नयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अबतक 38 किलोमीटर पथों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है।

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

Nov. 2024

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार सरकार

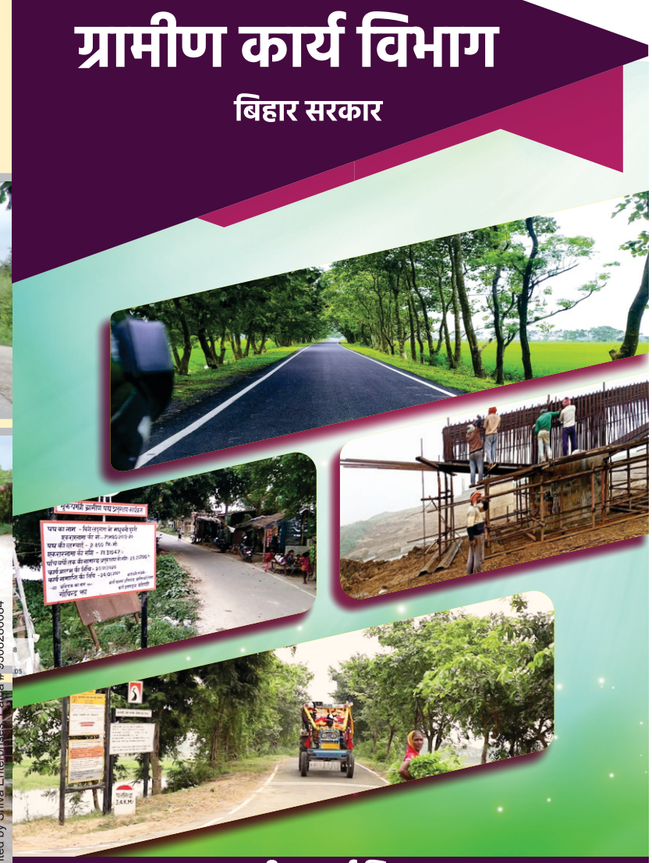

ग्रामीण कार्य विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार की बहुसंख्यक आबादी गाँवों में निवास करती है। गाँवों के विकास के बिना राज्य एवं देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्रामीण सड़कें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है एवं ग्रामीण विकास का भी एक प्रमुख घटक है।

इनकी महत्ता को पहचानते हुए पूरे राज्य में योजनाबद्ध तरीके से सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। माननीय **मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में "न्याय के साथ विकास"** के रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार विशेष रुप से सजग है कि गाँव के ऐसे टोलों की बारहमासी सम्पर्कता मुख्य सड़क से बनी रहे जहाँ गरीब और वंचित वर्ग के लोग निवास करते हैं। पूर्व में यह लक्ष्य रखा गया था कि राज्य में सड़कों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि किसी को सबसे सुदूर क्षेत्र से भी राजधानी पटना पहुँचने में छः घण्टे से अधिक का समय नहीं लगे। जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया तो लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करते हुए अब इस समय को पाँच घण्टे का रखा गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सड़कों, पुल-पुलियों एवं वैकल्पिक मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है।

ग्रामीण कार्य विभाग का गठन वर्ष 2007 में हुआ। इसके पूर्व यह विभाग ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही था। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा राज्य संपोषित **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपातकालीन सेवाएं, कृषि के विकास एवं आधुनिकीकरण के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी तथा इसका लाभ आमजनों तक आसानी से पहुँचने लगा है। साथ ही ग्रामीणों को बाजार, प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय तक सीधे एवं सुगमतापूर्वक सम्पर्कता प्राप्त हो गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी जगहों पर बारहमासी सड़कों का जाल दिखाई पड़ता है।

गाँवों को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करते हुए इसे मुख्य सड़क से जोड़ने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का पता इस बात से भी चलता है कि ग्रामीण कार्य विभाग का बजट जो वर्ष 2007-08 में 1,389.53 करोड़ रुपये था वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 13,138.69 करोड़ रुपये हो गया है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण राज्य में अबतक कुल 1,16,782.88 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है तथा 12,778 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार राज्य में अबतक 19,937.41 करोड़ रु0 लागत से 16,143 पथों, जिनकी लंबाई 40,211.93 कि0मी0 है, के अनुरक्षण की स्वीकृति दी गई है। इसके विरुद्ध अबतक 13,609.46 करोड़ रुपये की लागत से 30,740.09 कि.मी. लंबाई के 11,804 पथों का अनुरक्षण कार्य कराया गया है एवं शेष पथों में कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अबतक राज्य संपोषित योजनाओं के लिए राज्य बजट से लगभग 44,527.02 करोड़ रुपये व्यय कर 59,260.78 कि0मी0 ग्रामीण पथों एवं 818 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही विगत 18 वर्षों में 11,854.81 करोड़ रुपये व्यय कर 44,947.41 कि0मी0 पथों का नवीकरण/मरम्मत एवं ग्रामीण पथों/पुलों का नियमित पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण कार्य कराया गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष (RIDF) के अंतर्गत नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ऋण सम्पोषित राज्य योजना अंतर्गत अबतक 6,782.13 करोड़ रुपये की लागत से 5,249.06 कि.मी. लंबाई के 2,022 पथों एवं 1,224 पुलों की स्वीकृति दी गई है। अबतक 4,774.29 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 4,774 कि.मी. लंबाई के 1,800 पथों का कालीकरण कार्य एवं 745 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। शेष पथों एवं पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा अन्तर्गत सड़कों पर दुर्घटनाओं एवं आमजन के जान-माल की क्षति के रोकथाम के लिए पथों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (Road Safety Audit) का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सड़कों का संरचनात्मक सुधार एवं सड़क सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट के अलावा अन्य संवेदनशील स्थल,ग्रे स्पॉट, सड़क सुरक्षा अंकेक्षण, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, स्पीड लिमिट साईन बोर्ड, क्रैश बैरियर एवं फ्लैन्क, इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा 5 कि.मी. से अधिक लंबाई के कुल 20,623 कि.मी. पथों की सड़क सुरक्षा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कर इसमें उठाये गए बिन्दुओं का निराकरण कर लिया गया है।

वर्ष 2005 से 2010

- राज्य के सुदूर-दुर्गम क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण इलाकों को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा वर्ष **2005-06** में **मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना** प्रारंभ की गयी। ग्रामीण सड़कों में पुलविहीन नदियों एवं नालों पर पुल का निर्माण करना तथा क्षतिग्रस्त एवं जर्जर पुलों के स्थान पर नये पुलों का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाना इस योजना का उद्देश्य था।
- 1 अप्रैल, 2007 को ग्रामीण कार्य विभाग का गठन किया गया।
- वर्ष 2008-09 में बिहार सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 से वर्ष 2007-08 तक योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय एजेसिंयों के माध्यम से कराया गया। परन्तु केन्द्रीय एजेंसियां काम नहीं कर पा रही थीं। इसलिए बिहार सरकार द्वारा इस योजना का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया।

  शुरुआत में इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में एक हजार से अधिक आबादी वाले बसावटों को ही लिया जाना था। वर्ष 2012 में इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 तक आबादी की बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 आबादी वाली बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

  राज्य में वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के तहत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। वस्तुतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 वर्ष 2013 में प्रारंभ की गयी, जिसका लक्ष्य वर्तमान चुनिन्दा ग्रामीण सड़कों का आर्थिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण मंडियों एवं बाजारों में बढ़ोतरी के आधार पर उन्नयन करना था।

  राज्य में वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। वस्तुतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 वर्ष 2019 में प्रारंभ की गयी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण बसावटों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों, इत्यादि को जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना है।

  बिहार सरकार के द्वारा अबतक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में समेकित रुप से कुल 7,293.54 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में समेकित रुप से अबतक कुल 32,112.35 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जिसमें केन्द्रीय अंशदान की राशि 24,849.52 करोड़ रुपये तथा राज्य अंशदान की राशि 7,262.83 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत अबतक 59,615.94 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों एवं 1,326 पुलों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है।
- वर्ष **2006-07 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना** लागू की गई। चूँकि 1000 से अधिक आबादी वाले बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व से लागू थी, इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500-999 आबादी वाले बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस तरह की योजना प्रारंभ करने वाला बिहार देश का सर्वप्रथम राज्य बना।
- इस योजना के तहत अबतक 38 हजार 345 किलोमीटर पथों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 3 हजार 967 किलोमीटर पथों का कार्य प्रगति में है।
- वर्ष 2007 में कार्यों में प्रगति हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेन्ट एवं स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण के लिये वाह्य निर्माण पर्यवेक्षण परामर्शियों की सेवा उपलब्ध करायी गयी।
- वर्ष 2007 में राजस्व मानचित्रण के आधार पर बनाये गये कोर नेटवर्क को बसावटों/टोलों के आधार पर संशोधन किया गया।
- वर्ष 2007 में सभी निर्माण कार्यों में निर्माण के साथ 5 वर्षों तक रुटीन अनुरक्षण का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2007 में मुख्य योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी के द्वारा शुरु किया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गयी एकीकृत कार्ययोजना (IAP) के तहत बामपंथ उग्रवाद क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इससे अनाच्छादित असम्पर्कित बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा **वर्ष 2007-08** में **"आपकी सरकार आपके द्वार"** योजना की शुरुआत की गयी।
- वर्ष 2008 में सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों में स्वतंत्र गुण नियत्रंक इकाई की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2008 में सड़क सम्पर्क बनाने हेतु प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें प्रति टास्क फोर्स 1 कार्यपालक अभियंता, 3 सहायक अभियंता एवं 4 कनीय अभियंता को लिया गया।
- वर्ष 2008 में क्षमता अभिवृद्धि हेतु 228 पदाधिकारियों को नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग्स में प्रशिक्षण दिया गया तथा संवेदकों को भी प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गयी।
- वर्ष 2008 में ग्रामीण कार्य विभाग के पथों की सुरक्षा एवं सामाजिक निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु पथ सुरक्षा समितियों का गठन किया गया।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2012 में 250 से अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य कोर-नेटवर्क तैयार किया गया।
- वर्ष 2012 में योजनाओं के ऑनलाईन अनुश्रवण की व्यवस्था शुरु की गयी। सभी कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता का डिजीटल सिग्नेचर बनवाया गया।
- वर्ष 2012 में निर्माण में समयबद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के फलस्वरुप 20 कार्य अंचलों, 108 कार्य प्रमंडलों, 534 अवर प्रमंडलों, 10 पंचायतों पर एक कनीय अभियंता, 11 से 20 पंचायतों पर दो कनीय अभियंता, 21 से 30 पंचायतों पर तीन कनीय अभियंता तथा 31 एवं उससे ऊपर पंचायतों पर चार कनीय अभियंता का पद सृजित किया गया।
- वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले बसावटों को तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए राज्य सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र में **250-499 आबादी वालें बसावटों** को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना** वर्ष 2013-14 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत उन सड़कों को भी शामिल किया गया है, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कुल 38,120.80 कि.मी. लंबाई के 28,357 पथों एवं 339 पुलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 23,889.57 करोड़ रुपये की लागत से 31,545.77 कि.मी. लंबाई के 20,924 पथों एवं 73 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
- वर्ष 2013 में राज्य योजनाओं के अनुश्रवण के लिए स्टेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) लागू किया गया एवं योजनाओं के रियल टाईम मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरु की गयी।
- पूर्व में ग्रामीण पथों के अनुरक्षण हेतु सार्वभौमिक अनुरक्षण नीति नहीं थी। पथों को श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में विभाजित कर सीमित संख्या में ही नवीकरण एवं अनुरक्षण कार्य कराया जाता था। राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पंचवर्षीय अनुरक्षण के बाहर वाले पथों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 2013 में बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2013 तथा वर्ष 2018 में **'बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018'** लागू की